सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा
जिला–उदयपुर(राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी — श्री जयसिहं– I I (RAS)
प्रकरण संख्या– 07/2018 रा0 वा0 — दायर दिनांक–09.03.2018
निर्णय दिनांक–09.10.2025

1.श्रीमति हीरा बाई बेवा स्व.दलाजी प्रजापत, जाति–प्रजापत, निवासी–झुथरी ,तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज0) ।
2.श्री गजेन्द्र पिता स्व. दला जी, जाति– प्रजापत, निवासी–झुथरी ,तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज0) ।
3.श्री बसन्तिलाल पिता स्व. दला जी, जाति– प्रजापत, निवासी–झुथरी ,तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज0) ।
4.श्री भगवतीलाल पिता स्व. दला जी, जाति– प्रजापत, निवासी–झुथरी ,तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज0) ।
5.श्री कन्हैयालाल पिता स्व.दला जी, जाति– प्रजापत, निवासी–झुथरी ,तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज0) ।

■ –वादिगण–

बनाम

1 श्री नाथु पिता मावा जी जाति– पटेल, निवासी झुथरी,तहसील– खेरवाडा,जिला उदयपुर (राज0)।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् घोषणा, निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती कराने बाबत्।

उपस्थित :– श्री विवेक कंसारा, अधिवक्ता वादीगण।
प्रतिवादी न.01 मय अधिवक्ता अनुपस्थित।
पैरोकार तहसीलदार खैरवाडा, उपस्थित।

–निर्णय– दिनांकः– 09.10.2025

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा –झुथरी ,तहसील –खेरवाडा, जिला– उदयपुर(राज0) की आराजी नम्बर 3532/0.04, 3533/0.04, 3534/0.03, 3535/0.46 कुल किता 4 रकबा 0.57 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण पुश्तैनी है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के पुराने आराजी न0 2853 था जो की वादीयां संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता के नाम खाते दर्ज थी तथा उक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण का पुश्तैनी समय से कब्जा –काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहे थे। वर्णित आराजीयात पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा था। परन्तु वादीयां न.1 के पति व वादी न. 2 से 5 के पिता की मृत्यू काफी समय पहले हो गई थी तथा उस समय वादी सं. 2 से 5 काफी छोटे थे, वादीगण का एक मात्र सहारा स्व. दलाजी थे जिसकी मृत्यू के पश्चात वादीयां न. 1 अपना व अपने बच्चो का पालन–पोषण करने रोजगार हेतु उदयपुर चली गईं वही रोजगार कर अपने बच्चो का पालन पोषण करती रही एवं समय–समय पर आकर उक्त वर्णित आराजीयात की देख–भाल करती रहती थी। वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में वादीयां के बच्चे वादी संख्या 2 से 5 बडे व समझदार होने क बाद वादी संख्या 2 ने उक्त वर्णित आराजीयात के खाते की नकल निकलवाने से जानकारी प्राप्त की तो पता चला की उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खाते में दर्ज हो गई तब वादीगण ने सम्पुर्ण जानकारी प्राप्त की तो पता चला की प्रतिवादी स. 1 ने पटवारी से मिली–भगत कर फर्जी बेचान के आधार पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भूमिधारी तहसीलदार –खेरवाडा द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुऐ अपने जवाब में बताया है कि मौजा झुथरी की आ0न0 3532, 3533, 3534, 3535 कुल किता 4 रकबा 0.57 हैक्टर ,गत आराजी न. 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा मिसल नम्बर 1849/69 दिनांक 27/10/79 को तहसीलदार खैरवाडा द्वारा बिलानाम (सिवाचक) भुमि को नियमन श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम हुआ जिसका नामान्तरणकरण संख्या 161 खोला गया। जबकी खातेदार द्वारा उक्त आराजी को 1975 में ही प्रतिवादी स.1 को बेचान किया जिसका नामान्तरणकरण संख्या 400 बिना पंजीयन एवं नामान्तरणकरण संख्या 672 भी बिना पंजीयन दस्तावेज के हुए है। अतः वादीगण का आक्षेप बिना पंजीयन व मिलीभगत का साबित हो रहा है। बिना पंजीयन बेचान दस्तावेज को स्वीकार किया जाने से राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है । पूर्व में प्रस्तुत दावा 125/2006 में गत(साबिक) आ.न. 1159 रकबा 3 बीघा का है जबकी यह दावा गत (साबिक) आ.न.2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा का है। अतः वाद संख्या 125/2006 के निर्णय से इस वाद का कोई सम्बन्ध नही है। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी न.01 ने उपस्थित होकर दिनोक 24/03/2021 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी न.1 की तरफ से अधिवक्ता श्री बसन्त कुमार व्यास व दिलीप कुमार व्यास का वकालतनामा पेश किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06/10/2023 को विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी न.1 से सम्पर्क नही होना मौखिक बताया। बार–बार आवाज लगाने पर भी प्रतिवादी न.01 न्यायालय समय पर उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में ली गई। तथा विपक्षी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. धारा 151 जा.दी. का इसी स्टेज पर खारिज किया गया। वादीगण की तरफ से स्वंय वादीयां हीराबाई का गवाह के रूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा दस्तावेज सबूत में साक्ष्य के रूप में नामान्तरकरण की प्रति प्रॅदर्श 1,जमाबन्दी सवंत् 2035 से 2038 प्रॅदर्श 2 ,मिलान यौग प्रॅदर्श 3, पूर्व प्रकरण संख्या 125/2006 प्रदर्श 4 , फर्द प्रदर्श 5 , आदेशिका प्रदर्श 6, पत्रावली पाबन्द की प्रदर्श 7 व तहसीलदार का जवाब प्रदर्श 8। वादीगण के अधिवक्ता और कोई शहादत सबूत प्रस्तुत नही करना चाहते है। इसलिए वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस अपने वाद–पत्र अनुसार रही मुख्य रूप से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा झुथरी की साबिक आ. न. 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय दला पिता हकरा कुम्हार (प्रजापत) को नियमन से प्राप्त हुई थी। जिसपर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। जिसके नवीन सेटलमेंट की आ.न. 3532, 3533, 3534, 3535 कुल किता 4 रकबा 0.57 हेक्टर कायम होकर प्रतिवादी न.1 के खाते दर्ज है। पटवारी हल्का व प्रतिवादी न.1 की मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर खाता रद्दोबदल कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार खैरवाडा द्वारा दिनांक 23/01/2020 को जवाब दावा प्रतिवादी न. 2 के रूप में पेश किया है वह सही है। प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि भूमि का बेचान नामा है वह भी गलत व फर्जी है वास्तविक कोई दस्तावेज होता तो प्रतिवादी न.1 व उनके अधिवक्ता आवश्यक ही प्रस्तुत करते। लेकिन भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा बेचान नही कि गई है। पटवारी व प्रतिवादी न. 1 की मिलीभगत से भूमि को हडपने की नियत से गलत बेचान नामा के आधार पर खाता खोला गया है जो अवैद्य होकर निरस्त योग्य है । पैरोकार प्रतिवादी न. 2 ने भी अपने जवाब में बताया गया है की प्रतिवादी न.1 एवं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 400 व दुसरा नामान्तरकरण संख्या 672 भूमि का हस्तान्तरण होना साबित होता है ऐसा दस्तावेज से सरकार को भी राजस्व हानि पहुचाई है। वादीगण के खाते दर्ज किया जाना तथा दावा डिक्री किया जाना न्याय संगत होना बताया है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19/08/2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर आदेश दिया गया था कि अप्रार्थी सं.1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कब्जा नही करे एवं नही किसी अन्य से करावें। वादगस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे । इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । इसके बावजूद विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य चालू कर दिया जिसके वादीयां के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15/03/2021 को प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी श्री नाथूलाल पिता मावजी पटेल निवासी झुथरी तहसील खेरवाडा को पुलिस इम्दाद द्वारा आप न्यायालय के आदेश की पालना करवा कर किये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाया जावे । तद्नुसार न्यायालय द्वारा थानाधिकारी खेरवाडा को लिखा गया। विपक्षीगणो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 02/03/2021 को पांबद किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 जा.दी. का प्रस्तुत करने के पश्चात मामले में कसी प्रकार कि चारा– जोही स्वंय प्रतिवादी अथवा उनकं अधिवक्ता द्वारा नही कि हैं तथा विपक्षी अधिवक्ता दिलीप व्यास द्वारा दिनांक 06.10.2023 को विपक्षी से सम्पर्क नही होना मौखिक न्यायालय को बताया गया इसलिए विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व से एकतरफा कार्यवाही चल रही थी ऐंसी स्थिति में विपक्षी नम्बर 1 का प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. व धारा 151 जा.दी का इसी स्टेज पर दिनांक 06.10.2023 को खारिज किया गया। उक्त मामले में भूमिधारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी स. 1 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करा कर फर्जी तरीके से खाते में अपना नाम दर्ज कर दिया जो की फर्जी दस्तावेज के आधार पर दर्ज किये जाने से उक्त इन्द्राज को दुरस्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त तथ्यो की जानकारी होने पर वादीगण ने अधिवक्ता स्व. गजानन्द शर्मा से सम्पर्क कर दावा करवाया जिसका नम्बर 125/2006 रा0वा0 आप न्यायालय में प्रस्तुत किया । वादी न.1 जो उम्रदराज है अधिवक्ता पर विश्वास कर पेशीयों पर आती रही परन्तु इस दौरान अधिवक्ता का देहान्त हो जाने से वादीयां न. 1 को मामले में जानकारी नही मिल सकी तथा इसी दौरान वादीयां न. 1 ने जब भी न्यायालय में सम्पर्क किया तो भी वादीगण को सही जानकारी नही मिली। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत में दिनांक 11/06/2016 को वादीयां सं. को कैम्प झुथरी में लोक अदालत में बुलवाया तथा राजस्व अधिकारीयो ने मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करने का कहकर वादीयां के हस्ताक्षर करवा कर बताया की मामला फैसल कर दिया है तथा अब आपको आने की जरूरत नही है। लेकिन दिनांक 30/1/2018 को उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी न.1 द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन जोर–शोर से जे.सी.बी. से उक्त भूमि के मध्य स्थित मगरी को समतल करवाने का कार्य करवाया जाकर वादीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहा था जिसकी जानकारी वादीयां स.1 जो कि उदयपुर में रहती है वादियां को गॉव के लोगो द्वारा बताने पर वादीयां गॉव आई तथा गॉव के मातबीरो को एकत्र कर प्रतिवादी न.1 को कार्य करने से रूकवाया तो प्रतिवादी न.1 ने रोक दिया। परन्तु प्रतिवादी न. 1, वादीगण को आये दिन धमकाने लगा की उक्त भूमि मेरी है तथा खाते में भी मेरी होने से इसका उपयोग करूगां तब वादीगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पूर्व में प्रस्तुत मामले की जानकारी करने हेतु दिनांक 16/ 02/2018 को नकल प्रार्थना–पत्र लगाकर नकल प्राप्त की तो पता चला की उक्त वाद को दिनांक 11/06/2016 को राजस्व लोक अदालत में निर्णय कर दिया है तथा प्रकरण संख्या 125/2006 रा0वा0 में वादीगण के अधिवक्ता स्व.गजानन्द शर्मा ने उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात के बजाय वादीयां न.1 के पति स्व. दलाजी को आंवटित आराजी नम्बर 1159 रकबा 3 बीघा के सम्बन्ध में दावा कर दिया जो कि गलत नम्बर थे तथा गलत नम्बर होने के आधार पर कोई रिलीफ नही दिलाई जा सकती है यह कह कर वाद को खारिज कर दिया जिसकी वादीगण को कोई जानकारी नही थी न ही राजस्व अधिकारीयो ने वादीयां न. 1 को इसके सबन्ध में कोई जानकारी दी। जानकारी के अभाव में वादीगण अपने पक्ष में निर्णित होना जान निश्चिंत हो गये तथा मौके पर भी वादीगण का कब्जा बदस्तुर चलता आ रहा है। वादीयां न.01 के पति ने कभी भी प्रतिवादी न. 1 को वाद वर्णित आराजीयात या उसका कोई हिस्सा विक्रय नही किया गया था। प्रतिवादी न. 1 ने पटवारी से मिली भगत कर अनरजिस्ट्रर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण खोल दिया । जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने उक्त अन रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज का अवलोकन कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी स. 1 द्वारा मना करते हुए उसके नाम से दर्ज होना का बताया एवं नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहा है जो कि अनुचित है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है साथ ही अवैध तरीके अनरजिस्ट्रर्ड दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरण को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। उक्त वाद वर्णित आराजीयात के स्वामित्व व अधिपत्य का होकर वादीगण ही उस पर काबिज होकर उपयोग –उपभोग करते आ रहै है। जिस पर प्रतिवादी न.01 अतिक्रमण कर अवेद्य रूप से जे0सी0बी0 लगाकर समतल करने अथवा किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नही है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नही रोका गया तो वादीगण को अपूर्णीय हानि होगी जिसका एवजाना असम्भव होगा वह अपने स्वामित्व की सम्पति के उपयोग– उपभोग से वचिंत हो जायेगा। ऐसे में वांछित निषेधाज्ञा जारी कराया जाना न्यायोचित है इस के अलावा वादीगण के पास कोई विकल्प नही है । वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 30.01.2018 को प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादीगण के वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जे0सी0बी0 मशीन द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात के मध्य मगरी को समतल कराने का प्रयास किया जिस पर वादी गण द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादी न.01 द्वारा गाली– गलौच कर मरने –मारने पर उतारू हो गया जिस से वाद पैदा हुआ तथा बाद में गॉव के मौतबीरो द्वारा समझाईस करने पर प्रतिवादी न. 01 द्वारा उक्त अवैध कार्य रोक देने के बाद दिनांक 19/02/2018 को पूर्व में प्रस्तुत मामले(दावे) की नकल प्राप्त करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर बना हुआ है। प्रतिवादी न. 1 द्वारा मिली– भगत कर फर्जी दस्तावेज बनाये जाकर ,उनके आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया जो कि विधि सम्मत नही है। वादीगण उक्त वाद वर्णित आराजीयात के एक मात्र स्वामी हो ,काबिज हो उपयोग – उपभोग करते आ रहै है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 अपने धनबल व भूजबल के आधार पर बनाये गये फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरणकरण खुलवा लिया जो की विधि विरूद्ध है। इसलिए मजबुरन यह दावा प्रतिवादी के विरूद्ध लाया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी न.1 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध दिनांक 19/08/2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली गई । प्रतिवादी न. 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार खैरवाडा द्वारा पूर्व दिनांक 13.01.2020 को प्रस्तुत जवाब दावा प्रदर्श 8 है जिसमें तहसीलदार खैरवाडा द्वारा भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी दला पिता हकरा कुम्हार को आवंटन से प्राप्त होना बताया है। तथा वादीगण ने उक्त भूमि पैतृक होना वाद पत्र में दर्शाया गया है ऐसी स्थिति में वाद का गुण एवं दोष के आधार पर सही निस्तारण हैतु न्यायालय द्वारा तहसीलदार खैरवाडा से आवश्यक राजस्व रेकॉर्ड तलब किया गया। नामान्तरण संख्या 400 की प्रमाणित नकल जिसमें आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा का बिकाव से नाथू पिता मावा पटेल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 672 के द्वारा आ0न0 2553 रकबा 3 बीघ 1 विस्वा बिकाव से नाथु पिता मावा पटेल (डांगी) के नाम शेष 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। मौजा झुथरी की जमाबन्दी सवत 2031 से 2034 के खता नम्बर 21 में श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम दर्ज है । खातेदार ने अपना पुरा हिस्सा 400 व 672 से श्री नाथु पिता मावा पटैल (डांगी) के नाम दर्ज हुई है जिसकी जमाबन्दी 2028 से 2031 के खाता नम्बर 18 की आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 में नामान्तरण स0 161 से श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम पर मिसल संख्या 1849/1969 दिनांक 27.10.1969 से नियमन होकर खातेदारी हक से दर्ज है। अपंजीकृत बेचान से नामान्तरण सं0 400 व 672 से अलग–अलग बेचान बताकर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी 2031 से 2034 के कॉलम सख्या 16 में वर्णित है। भूमि अनरजिस्टर्ड बेचान–पत्र से हुई हस्तान्तरण हुई है। भारतीय कानून में सम्पति के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए पंजीकृत बिक्री विलेख आवश्यक है। म्युटेशन(नामान्तरण) केवल एक पंजीयन बिक्री विलेख के आधार पर हि किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरण अवैद्य होकर प्रभावहीन है। वादीगण स्वं. दला पिता हकरा कुम्हार के हिन्दु उत्तराधीकारी नियम के तहत क्लास वन के वारीशान है जिन्हे यह दावा लाने का पूर्ण अधिकार है। मामला एक पक्षीय हो चुका है। प्रस्तुत दावा साक्ष्य– सबूत से सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वाद वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री दला पिता हकरा कुम्हार (प्रजापत) को दिनांक 27/10/1969 को नियमन की गई थी तथा सन् 1975 में प्रतिवादी न. 1 को बेचान होना बताया है। इससे भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी न.1 की मिलीभगत से भूमि अंपजीकृत बेचान नामें के आधार पर खाता रददो –बदल किया जाकर प्रतिवादी न. 1 के नाम खाता खोला गया है वह विधि विरूद्ध है । वाद वर्णित कृषि भूमि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19/08/2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर आदेश दिया गया था कि अप्रार्थी सं.1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कब्जा नही करे एवं न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे । इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । इसके बावजूद विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य चालू कर दिया जिसके वादीयां के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15/03/2021 को प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी श्री नाथूलाल पिता मावजी पटेल निवासी झुथरी तहसील खेरवाडा को पुलिस इम्दाद द्वारा आप न्यायालय के आदेश की पालना करवा कर किये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाया जावे । तद्नुसार न्यायालय द्वारा थानाधिकारी खेरवाडा को लिखा गया। विपक्षीगणो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 02/03/2021 को पांबद किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार खैरवाडा से आवश्यक राजस्व रेकॉर्ड तलब किया गया। नामान्तरण संख्या 400 की प्रमाणित नकल जिसमें आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा का बिकाव से नाथू पिता मावा पटेल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 672 के द्वारा आ0न0 2853 रकबा 3 बीघ 1 विस्वा बिकाव से नाथु पिता मावा पटेल (डांगी) के नाम शेष 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। मौजा झुथरी की जमाबन्दी सवत 2031 से 2034 के खाता नम्बर 21 में श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम दर्ज है । खातेदार ने अपना 1/2 हिस्सा व नामान्तरकरण संख्या 400 व नामान्तरकरण संख्या 672 से 1/2 हिस्सा श्री नाथु पिता मावा पटेल (डांगी) के नाम दर्ज हुई है जिसकी जमाबन्दी 2028 से 2031 के खाता नम्बर 18 की आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 में नामान्तरण स0 161 से श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम पर मिसल संख्या 1849/1969 दिनांक 27.10.1969 से नियमन होकर खातेदारी हक से दर्ज है। अवैधानिक बेचान से नामान्तरण सं0 400 व 672 से अलग–अलग बेचान बताकर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी 2031 से 2034 के कॉलम सख्या 16 में वर्णित है। भूमि अनरजिस्टर्ड बेचान–पत्र से हस्तान्तरित हुई है। भारतीय कानून में सम्पति के स्वामित्व को स्थानान्तरित करने के लिए पंजीकृत बिक्री विलेख आवश्यक है। म्युटेशन (नामान्तरण) केवल एक पंजीयन बिक्री विलेख के आधार पर ही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरण अवैध होकर प्रभावहीन है। वादीगण स्वं. दला पिता हकरा कुम्हार के हिन्दु उत्तराधीकारी अधिनियम 1956 के तहत क्लास वन के वारीसान है जिन्हे यह दावा लाने का पूर्ण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार है। मामला एक पक्षीय होने से तनकी वार निस्तारण नही लिखा गया। प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब नही किया गया है तथा न ही अपने पक्ष में लिखे गये अनरजिस्टर्ड दस्तावेजो को भी पेश नही किया गया है। प्रविादी न.01 द्वारा उक्त मामले में किसी प्रकार की चाराजोही नही की है न ही स्वंय उपस्थित हुआ है। व नामान्तरण संख्या 400 व 672 में जिन दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उक्त दस्तावेज नामान्तरणकरणो के साथ चस्पा नही है न ही प्रतिवादी सख्यां 01 द्वारा प्रस्तुत किये गये है। वादीगण द्वारा अपने मौखिक बयान व दस्तावेजो से भी वादीगण का वाद साबित है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::आदेश:—

अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाता है कि मौजा— झुथरी की आ. न. 3532/0.04, 3533/0.04, 3534/0.03, 3535/0.46 कुल किता 4 रकबा 0.57 हेक्टर कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार वादीगण को घोषित किये जाते है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण सख्यां 400 व 672 को (NULL AND VOID) प्रभावहीन घोषित किये जाकर निरस्त किये जाते है। तथा प्रतिवादी न0 01 के विरूद्ध इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जे—काश्त में किसी प्रकार कि दखलन्दाजी नही करे । प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा दौराने वाद कोई अवैद्य निर्माण अथवा कब्जा कर दिया होतो उसे स्वंय प्रतिवादी नम्बर 01 के खर्चे से तुडवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम की जावे। डिकी पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खैरवाडा एवं थानाधिकारी खैरवाडा को भिजवाया जावे। तहसीलदार खैरवाडा व थानाधिकारी खैरवाडा मुताबिक डिकी पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करावें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय आज दिंनाक 09/10/2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जिला— उदयपुर (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

डिगरी व मुकदमे हब्तदाई
(आ 2 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज.)
निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकरी – **श्री जयसिहं– II (RAS)**

श्रीमति हीरा बाई बेवा स्व. दलाजी प्रजापत, जाति– प्रजापत, वगैरह निवासी – झुथरी, तहसील– खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.) क. स. 1 से 05 तक.

बनाम

श्री नाथु पिता मावा जी पटेल, जाति –पटेल, निवासी– निवासी – झुथरी, तहसील– खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.) क.स.01से 02 तक।

दावा– **वाद बाबत् घोषणा, निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती।**

मुकदमा नम्बर –**07/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

ग्राम – मौजा– झुथरी की आ. न. 3532/0.04, 3533/0.04, 3534/0.03, 3535/0.46 कुल किता 4 रकबा 0.57 हेक्टर कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार वादीगण को घोषित किये जाते है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण सख्यां 400 व 672 को (NULL AND VOID) प्रभावहीन घोषित किये जाकर निरस्त किये जाते है। तथा प्रतिवादी न0 01 के विरूद्ध इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार कि दखलन्दाजी नही करे । प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा दौराने वाद कोई अवैद्य निर्माण अथवा कब्जा कर दिया होतो उसे स्वंय प्रतिवादी नम्बर 01 के खर्चे से तुडवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम की जावे। डिकी पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खैरवाडा एवं थानाधिकारी खैरवाडा को भिजवाया जावे। तहसीलदार खैरवाडा व थानाधिकारी खैरवाडा मुताबिक डिकी पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करावें।

मुबलिग – –– बाबत् –– खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर– –– फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक – का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 09 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत –
ओहदा – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

मुदई रुपया पैसा मुदायता रुपया पैसा			
स्टाम्प अरजी दावा	= 6:04/–	स्टाम्प अरजी वकालत नामा	= – /–
स्टाम्प वकालतनामा	= 1:00/–	स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
महनताना वकील (फा.)		महनताना वकील (फा.)	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
मुतफरिक	= 2:00/–	मुतफरिक	
मीलान :–	9:00/–	मीजान :–	= – /–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner